

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राजमावि/21307/2023-24/

दिनांक : 04-05-2023

--- आदेश ---

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.4(6)शिक्षा-1/ब.घो.सं. 28 (iv)/2022 जयपुर, दिनांक: 27.04.2023 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा संख्या 28 (iv) की अनुपालना में निम्नांकित 09 राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	यू-ड्राईस कोड	क्रमोन्नत किए जाने वाले विद्यालय का नाम
1	JAISALMER	MOHANGARH	8160105602	GOVT. GIRLS UPS DEVA(472160)
2	JAISALMER	SAM	8160315303	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL SELIWA (475866)
3	JAISALMER	JAISALMER	8160100402	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL SODHAKAUR (472480)
4	JAISALMER	FATHEGARH	8160313210	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL JHINIHIYALI (475788)
5	JAISALMER	JAISALMER	8160106702	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL LANELA (472231)
6	BARMER	BARMER RURAL	8170566901	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KANYA MOOLE KA TALLA (504179)
7	RAJASAMAND	BHIM	8250108703	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL BAGGAR (503005)
8	RAJASAMAND	BHIM	8250104403	SHAHEED SHIVPAL SINGH GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL BALI JASSATHERA (486623)
9	BUNDI	NAINWA	8230303206	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL SAMIDHI (469969)

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102301059 दिनांक 24.04.2023 के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्त :-

- विद्यालय क्रमोन्नत सत्र 2023-24 से प्रारंभ होगा।
- स्वीकृति के वर्ष कक्षा 09, 10 को एक साथ प्रारंभ किया जावेगा एवम् आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा-11 एवं 12 प्रारंभ की जा सकेंगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें। सत्यमेव जयते
- राजमावि से राजमावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राजमावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राजमावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III को क्रमोन्नत राजमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
- क्रमोन्नत होने वाले राजमावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राजमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
- शेष शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3 डी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
- पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेंगी।

*(Handwritten Signature)*

8. उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 8 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किया जाये तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
9. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।
10. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेंट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
12. उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नोबार्ड, एम.पी. एल.ए. डी, एम.एल.ए. एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।

(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.ई.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक : 04-05-2023

क्रमांक : शिदिरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राजमावि/21307/2023-24/

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, फालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर एवं कोटा।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमन्द एवं बूंदी।
12. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-माध्यमिक, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमन्द एवं बूंदी।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, जैसलमेर, मोहनगढ़, फतेहगढ़, बाड़मेर-ग्रामीण, भीम एवं नैनवां।
14. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/सी/एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
15. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
18. रक्षित पत्रावली।

(उपनिदेशक (माध्यमिक))  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर